इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी 2017—पौष 30, शक 1938

भाग ४

विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
- (ख) (1) अध्यादेश.
- (ग) (1) प्रारूप नियम,

- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
- (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
- (2) अन्तिम नियम.
- (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
- (3) संसद् के अधिनियम.

भाग ४ (क) - कुछ नहीं

भाग ४ (ख)

अध्यादेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

Bhopal, the 13th January 2017

NO. 11-21-A(Dr.) The following Ordinance promulgated by the President of India published in the Gazette of India Extra-Ordinary, Part II, Section I, dated the 30th December, 2016 is hereby republished for general information.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, RAJESH YADAV, Addl. Secy.

THE SPECIFIED BANK NOTES (CESSATION OF LIABILITIES)
ORDINANCE, 2016
No. 10 of 2016

Promulgated by the president in the sixty seventh year of the of the Republic of India.

An Ordinance to provide for cessation of liabilities on the specified bank notes and for matters connected therewith or incidental thereto.

Whereas, the Central Government, on the recommendations of the Central Board of the Reserve Bank, vide notification No. S. O. 3407(E), dated the 8th November, 2016, declared the then existing series of the bank notes of the denominational value of five hundred rupees and one thousand rupees to cease to be legal tender with effect from the 9th November, 2016 to the extent specified therein;

AND, WHEREAS, a part of the series of bank notes in circulation which have ceased to be legal tender on account of the said notification has come back to the Reserve Bank of India;

AND, WHEREAS, such bank notes which have ceased to be legal tender are a liability in the books of accounts of the Reserve Bank of India under section 34 of the Reserve Bank of India Act, 1934;

AND, WHEREAS, it is necessary to have clarity and finality to the liabilities of the Reserve Bank of India and the Central Government arising from such bank notes which have ceased to be legal tender on the basis of the said notification;

AND, WHEREAS, Parliament is not in session and the president is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, Therefore, In exercise of the powers conferred by article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short titile and commencement.

Definitions.

- 1. (1) This Ordinance may be called the Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Ordinance, 2016.
 - (2) It shall come into force on the 31st day of December, 2016.

2. (1) In this Ordinance, unless the context otherwise requires,—

- (a) "appointed day" means the 31st day of December, 2016;
- (b) "grace period" means the period to be specified by the Central Government, by notification, during which the specified bank notes can be deposited in accordance with this Ordinance;
 - (c) "notification" means a notification published in the Official Gazette';
- (d) "Reserve Bank" means the Reserve Bank of India constituted by the Central Government under section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934;

2 of 1934.

- (e) "specified bank note" means a bank note of the denominational value of five hundred rupees or one thousand rupees of the series existing on or before the 8th day of November, 2016.
- (2) The words and expressions used and not defined in this Ordinance but defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 or the Banking Regulation Act, 1949 shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

2 of 1934 10 of 1949.

2 of 1934.

Specified bank notes to cease to be liability of Reserve Bank or Central Government. 3. On and from the appointed day, notwithstanding anything contained in the Reserve Bank of India Act, 1934 or any other law for the time being in force, the specified bank notes which have ceased to be legal tender, in view of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, number S.O. 3407 (E), dated the 8th November, 2016, issued under sub-section (2) of Section 26 of the Reserve Bank of India Act, 1934, shall cease to be liabilities of the Reserve Bank under section 34 and shall cease to have the guarantee of the Central Government under sub-section (1) of Section 26 of the said Act.

Exchange of Specified bank notes.

4.(1) Notwithstanding anything contained in Section 3, the following persons holding specified bank notes on or before the 8th day of November, 2016 shall be entitled to tender within the grace period with such declarations or statements, as such offices of the Reserve Bank or in such other manner as may be specified by it, namely:—

- (i) a citizen of India who makes a declaration that he was outside India between the 9th November, 2016 to 30th December, 2016 subject to such conditions as may be specified, by notification, by the Central Government; or
- (ii) such class of persons and for such reasons as may be specified, by notification, by the Central Government.
- (2) The Reserve Bank may, if satisfied, after making such verifications as it may consider necessary that the reasons for failure to deposit the notes within the period specified in the notification referred to in Section 3, are genuine, credit the value of the notes in his know your customer compliant bank account in such manner as may be specified by it.
- (3) Any person, aggrieved by the refusal of the Reserve Bank to credit the value of the notes under sub-section (2), may make a representation to the Central Board of the Reserve Bank within fourteen days of the communication of such refusal to him.

10 of 1949.

Explanation.—For the purposes of this Section, the expression "Know Your Customer compliant bank account" means the account which complies with the conditions specified in the regulations made by the Reserve Bank under the Banking Regulations Act, 1949.

5. On and from the appointed day, no person shall, knowingly or voluntarily, hold, transfer or receive any specified bank note:

Provided that nothing contained in this Section shall prohibit the holding of specified bank notes—

- (a) by any person—
 - (i) up to the expiry of the grace period; or
 - (ii) after the expiry of the grace period,
 - (A) not more than ten notes in total, irrespective of the denomination; or
 - (B) not more than twenty-five notes for the purposes of study, research or numismatics;
- (b) by the Reserve Bank or its agencies, or any other person authorised by the Reserve Bank;
- (c) by any person on the direction of a court in relation to any case pending in that court.

Penalty for contravention of Section 4.

6. Whoever knowingly and wilfully makes any declaration or Statement specified under sub-section (1) of Section 4, which is false in material particulars, or omits to make a material statement or makes a statement which he does not believe to be true, shall be punishable with fine which may extend to fifty thousand rupees or five times the amount of the face value of the specified bank notes tendered, whichever is higher.

Penalty for contravention of Section 5.

7. Whoever contravenes the provisions of Section 5, shall be punishable with fine which may extend to ten thousand rupees or five times the amount of the face value of the specified bank notes involved in the contravention, whichever is higher.

Offences by companies.

8. (1) Where a person committing a contravention or default referred to in Section 6 or Section 7 is a campany, every person who, at the time the contravention or default was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the contravention or default and shall be liable to be proceeded against and punished accrodingly:

Prohibition on holding, transferring or receiving specified bank notes. Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to punishment if he proves that the contravention or default was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the contravention or default.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Ordinance has been committed by a company and it is proved that the same was committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary, or other officer or employee of the company, such director, manager, secretary, other officer or employee shall also be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—For the purpose of this Section,—

- (a) "a company" means any body corporate and includes a firm, trust, a co-operative society and other association of individuals;
- (b) "director", in relation to a firm or trust, means a partner in the firm or a beneficiary in the trust.

Special provisions relating to offences.

9. Notwithstanding anything contained in Section 29 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the court of a Magistrate of the First Class or the court of a Metropolitan Magistrate may impose a fine for contravention of the provisions of this Ordinance.

2 of 1974.

Protection of action taken in good faith.

10. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government, the Reserve Bank or any of their officers for anything done or intended to be done in good faith under this Ordinance.

Power to make rules.

- 11.(1) The Central Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.
- (2) Every rule made under this Ordinance shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under the rule.

Power to remove difficulties.

- 12. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Ordinance, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.
- (2) Every order made under this Section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.

PRANAB MUKHERJEE, President.

DR. G. NARAYANA RAJU, Secretary to the Govt. of India.

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2017

अधि. क्र. 56.—भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16 अगस्त 2013 यथा संशोधित दिनांक 28 फरवरी 2014 द्वारा अधिसूचित पंडित दीनदयाल उपाध्याय निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय (शेड) योजना, 2013 में शासन के अनुमोदन के पश्चात् निम्नानुसार संशोधन करता है :—

अर्थात् :--

योजना की कंडिका (ङ) में उपकण्डिका (i) एवं (ii) के पश्चात कण्डिका (iii) स्थापित की जाती है.

(ङ) चयन (iii) ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत मुख्यालय अथवा ब्लॉक मुख्यालय/ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे स्थानों का चयन कर, जहां नियमित रूप से निर्माण कार्य में रत पीठा श्रमिक कार्य की खोज में एकत्रित होते हैं, शेड निर्माण हेतु विस्तृत प्रस्ताव संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को प्रेषित किया जायेगा. जिसमें स्थान की उपयुक्तता, भूमि की उपलब्धता, शेड का नक्शा एवं क्षेत्रफल तथा उसमें पेयजल व प्रसाधन जैसी सुविधाओं की व्यवस्था और निर्माण लागत तथा भविष्य में संधारण आदि की जानकारी सम्मिलित होगी. यह प्रस्ताव प्राप्त होने पर संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा परीक्षण कर वांछित अनुमित संबंधित जनपद पंचायत अथवा ब्लॉक मुख्यालय/ग्राम पंचायत को प्रेषित की जायेगी. जिसके पश्चात् शेड निर्माण का कार्य संबंधित जनपद पंचायत अथवा ब्लाक मुख्यालय/ग्राम पंचायत द्वारा प्रारंभ किया जा सकेगा.

तथा

योजना की कंडिका (च) योजना में हितलाभ के पश्चात् कंडिका (च)(i) स्थापित की जाती है.

(च) (i) योजना में जनपद पंचायत अथवा ब्लॉक मुख्यालय स्तर पर शेड निर्माण हेतु रुपये 05 लाख तक की राशि तथा ग्राम पंचायत स्तर पर शेड निर्माण हेतु रुपये 01 लाख तक की राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी. शेड की लागत उक्त राशि से अधिक होने पर शेष राशि संबंधित जनपद पंचायत अथवा ब्लॉक मुख्यालय/ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की जायेगी. उक्त राशि दो किश्तों में प्रदान की जायेगी.

प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत राशि तथा प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर शेष 50 प्रतिशत राशि द्वितीय किश्त के रूप में प्रदान की जायेगी. शेड निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णता संबंधी-प्रमाण-पत्र संबंधित पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा.

शेड के लिए भूमि तथा शेड निर्माण के पश्चात् भविष्य में समस्त संधारण कार्य तथा इनमें पेयजल तथा प्रसाधन सुविधा आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व संबंधित जनपद पंचायतों अथवा ब्लॉक मुख्यालय/ग्राम पंचायतों का होगा.

एस. एस. दीक्षित, सचिव.

श्रम विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2017

कमांकः एफ 24-4/2016/ए-16 ::::: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश श्रम न्यायिक सेवा के सदस्यों के वेतन, पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के पुनरीक्षण से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

संशोधन

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्रयुक्ति.-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम न्यायिक सेवा (वेतन, पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2016 है।
- (2) ये नियम पहली जनवरी 1996 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
- (3) ये नियम मध्यप्रदेश श्रम न्यायिक सेवा के समस्त सदस्यों को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.-

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेहक्षम न हो,-

- (क) ''मूल वेतन'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश मूलभूत नियम, 2016 के नियम 9 (21) (क) (एक) यथापरिभाषित वेतन;
- (ख) ''विद्यमान पद'' से अभिप्रेत है अनुसूची के कॉलम 2 में वर्णित पद;
- (ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;
- (घ) 'वेतनमान' से अभिप्रेत है पहली जनवरी, 1996 से लागू वेतनमान;
- (ड.) अनुसूची के भाग—एक में दी गई सारणी के कॉलम (2) के सामने कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किसी पद के वेतनमान के संबंध में ''पुनरीक्षित वेतनमान'' से अभिप्रेत है उसके कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे वेतनमान का तत्स्थानी यथापुनरीक्षित वेतनमान;
- (च) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;
- (छ) ''सेवा'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश रम न्यायिक सेवा, और
- (ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची।

- 3. पुनरीक्षित वेतनमान.— इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से सेवा का प्रत्येक सदस्य यथास्थिति 1 जनवरी, 1996 से ऐसा वेतनमान तथा 1 जनवरी, 2006 से ऐसा पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त करने का हकदार होगा जो अनुसूची के भाग—एक में कालम (3) व कालम (4) में क्रमशः विनिर्दिष्ट हैं तथा उस पद को लागू है जिस पर वह नियुक्त हुआ था।
- 4. वेतनमान अथवा पुनरीक्षित वेतनमान में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण.— सेवा के उस सदस्य का जो 1 जनवरी, 1996 से वेतनमान का और 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान द्वारा शासित होगा समझा जाए।

5. वेतनवृद्धियां.-

- (1) सेवा के सदस्य को यथास्थिति वेतनमान अथवा पुनरीक्षित वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि उरा तारीख को प्रदान की जाएगी जिसको यदि वह वर्तमान वेतनमान में बना रहता तो वेतनवृद्धि आहरित करता।
- (2) सेवा के ऐसे सदस्य, जो विधि में स्नातकोत्तर (एल एल.एम.) उपाधि धारण करते हों, 1 दिसम्बर, 2009 से तीन अग्रिम वेतनवृद्धियां, जो यथास्थिति मध्यप्रदेश निम्न न्यायिक सेवा तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के तत्स्थानी ग्रेड अथवा वेतनमान अथवा पुनरीक्षित वेतनमान को अनुज्ञेय हों (आदेश क्रमांक 3 (ए) 19–2003–21–ब (एक), दिनांक 15 जून, 2010)।
- 6. वेतन का अहरण.— इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय सेवा का प्रत्येक सदस्य 1, जनवरी, 1996 से वह वेतनमान अथवा 1 जनवरी, 2006 से वह पुनरिक्षित वेतनमान आहरित करेगा, जो कि उस पद को लागू हो, जिस पर कि वह नियुक्त किया गया हो।
- 7. महंगाई भत्ता.— सेवा के सदस्यों को 1 जुलाई, 1996 से उस दर से महंगाई भत्ता अनुज्ञात किया जाएगा 'जो कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर लागू हो।
- 3. अन्य भत्ते तथा फायदे.— सेवा के सदस्य, 1 नवम्बर, 1999 से ऐसे अन्य भत्तों तथा कायदों के हकदार होंगे जो यथास्थिति मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के तत्स्थानी. ग्रंड या वेतनमान या पुनरीक्षित वेतनमान को अनुज्ञेय हों।

समय समय पर पुनरीक्षित मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क. 3(ए) 19-03/21-ब(एक) दिनांक 2 मार्च, 2007 दृष्टव्य है।

9. वेतन का बकाया.— इन नियमों के अधीन वेतन के निर्धारण के परिणमस्वरुप वेतन के बकाया का यथास्थिति 1 जनवरी, 1996 तथा 1 जनवरी, 2006 से नकद भुगतान किया जाएगाः

परन्तु काल्पनिक वेतन का परिकलन प्राप्त होने वाले वास्तविक लाभों के बिना 1 जनवरी, 1996 से किया जाएगा। वास्तविक लाभ 1 जुलाई, 1996 से प्रोद्भूत होंगे। स्पष्टीकरण:— इस नियम के प्रयोजन के लिए सेवा के सदस्य के संबंध में वेतन का बकाया से अभिप्रेत है निम्नलिखित के बीच अंतर —

- (एक) वेतन तथा महंगाई भत्ते का योग जिसका वह इन नियमों के अधीन 1 जनवरी, 1996 से अनुसूची के भाग 1 के कॉलम (3) में यथावर्णित वेतनमान और 1 जनवरी, 2006 से कॉलम (4) के यथावर्णित पुनरीक्षित वेतनमान और भत्तों का हकदार हो; और
- (दो) विद्यमान परिलब्धियां जिनका कि वहयदि उसके वेतन और भत्ते इस प्रकार पुनरीक्षित न किए जाते तो हकदार होता।

10. सेवानिवृत्ति लाभ.-

- (1) सेवा के सदस्य जो 1 जुलाई, 2006 को या उसके पश्चात् मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति के कारण सेवा में नहीं हैं, 1 जनवरी, 2006 से नीचे विनिर्दिष्ट किए गए मान दण्डों पर संवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करेंगे, अर्थात् :--
 - (एक) सेवा के सदस्यों की अधिवार्षिकी आयु साठ वर्ष होगी;
 - (दो) पूर्ण पेंशन अर्जित करने के लिए अर्हकारी सेवा 20 वर्ष होगी, तथा सेवा के उन सदस्यों के संबंध में, जिन्होंने मृत्यु या सेवानिवृत्ति के समय 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण नहीं की है, उनके द्वारा की गई वास्तविक अर्हकारी सेवा के आधार पर आनुपाति पेंशन संगणित की जाएगी;
 - (तीन) अंतिम आहरित वेतन, पेंशन के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों के रूप में लिया जाएगा तथा पूर्ण पेंशन एसी परिलब्धियों की 50 प्रतिशत

होगी तथा पारिवारिक पेंशनरों के मामले में पूर्ण पेंशन ऐसी परिलब्धियों की 30 प्रतिशत होगी ;

- (चार) सेवाओं के सदस्यों की पेंशन का अधिकतम संराशीकरण उनकी . पेंशन का 50 प्रतिशत तक ही होगा तथा पेंशन का प्रत्यावर्तन 15 वर्ष के पश्चात होगा ;
- (पांच) संराशीकरण पर देय एकमुश्त राशि की संगणना अनुसूची के भाग—3 में दी गई तालिका के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर की जाएगी, इस नियम के प्रयोजन के लिए हासित जीवनकाल की दशा में आयु ऐसी आयु मानी जाएगी, जो उस वास्तविक आयु से कम न हो, जैसा कि प्रमाणित करने वाला चिकित्सीय प्राधिकारी निर्देशित करे। मूल्यों की तालिका में प्रशासनिक मंजूरी की तारीख से संराशीकरण की तारीख तक और वह तारीख जिस पर संराशीकरण होना हो, के बीच उपान्तरण होने की दशा में पूर्ण भुगतान उपांतरित तालिका के अनुसार किया जाएगा और आवेंदक के लिए यह खुला होगा कि यदि उपांतरित तालिका पूर्व में प्रवृत्त तालिका की तुलना में कम अनुकूल है तो वह उस तारिख से जिसको वह उपांतरण की सूचना प्राप्त करता है, 14 दिन के भीतर, भेजी गई लिखित सूचना द्वारा अपना आवेदन वापस ले:

परन्तु सेवा के ऐसे सदस्यों के मामले में, जिनके मामले में पेंशन का संराशीकरण किसी आवेदक को 1 जनवरी, 2006 को अथवा उसके पश्चात्, परन्तु इन नियमों के प्रभावशील होने के पूर्व हुआ हो, पुनरीक्षण से पूर्व प्रभावशील संराशीकरण की तालिका के अनुसार संराशीकरण के मूल्य पुनरीक्षण से पूर्व वेतन / पेंशन के लिए प्रयोग किया जाएगा। ऐसे पेंशनर्स को विकल्प प्राप्त होगा कि वे अतिरिक्त रूप से संराशीकरण योग्य पेंशन, जो इन नियमों के प्रभावशील होने के पश्चात्वर्ती तारीख से वेतन / पेंशन के पुनरीक्षण के कारण संराशीकरण योग्य हुई हो, का संराशीकरण करवा सकते हैं। ऐसे चयन का उपयोग करने पर पुनरीक्षित संराशीकरण की तालिका का उपयोग ऐसे अतिरिक्त पेंशन की राशि, जो पुनरीक्षण के कारण संराशीकरण योग्य हो गई, हो, के संराशीकरण के लिए किया जाएगा। सेवा के ऐसे सदस्यों के मामले में, जो इन नियमों के प्रभावशील होने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हों, पुनरीक्षित संराशीकरण की तालिका लाग् होगी;

- (छह) अधिकतम पेंशन के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ;
- (सात) उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की मृत्यु—सह—सेवानिवृत्ति उपदान, पेंशन, पेंशन का संराशीकरण तथा परिवार पेंशन, मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज (डेथ—कम—रिटायरमेंट बेनिफिट्स) रूल्स, 1964 के अनुसार होगी;
- (आठ) श्रम न्यायिक सेवा के अधिकारी की परिवार पेंशन का निर्धारण, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के अनुसार होगा ;
- (नौ) वृद्ध पेंशनरों को उपलब्ध पेंशन की राशि निम्नानुसार बढ़ा दीं जावेगी:—

पेंशनर की आयु	अतिरिक्त पेंशन की राशि
(1)	(2)
70 वर्ष से अधिक परन्तु 75 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 10 प्रतिशत
75 वर्ष से अधिक परन्तु 80 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20 प्रतिशत
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30 प्रतिशत
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40 प्रतिशत
90 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50 प्रतिशत
ु 100 वर्ष या अधिक	मूल पेंशन का 100 प्रतिशत

पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशनर की जन्मतिथि तथा आयु सदैव पेंशन भुगतान आदेश पर दर्शाई जावे ' ताकि देय होने पर यथाशीघ्र अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने में पेंशन संवितरण प्राधिकारी सक्षम हो सके अतिरिक्त पेंशन राशि सुस्पष्ट रूप से पेंशन भुगतान आदेश में दर्शाई जावेगी।

(दस) सभी तरह की उपदान की राशि की अधिकतम सीमा दस लाख रूपए होगी।

(ग्यारह) पुराने परिवार पेंशनरों को उपलब्ध पेंशन की राशि निम्नानुसार बढ़ा दी जावेगी।

परिवार पेंशनर की आयु	अतिरिक्त पेंशन की राशि
(1)	(2)
70 वर्ष से अधिक परन्तु 75 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 10 प्रतिशत
75 वर्ष से अधिक परन्तु 80 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20 प्रतिशत
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30 प्रतिशत
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40 प्रतिशत
90 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष या अधिक	मूल पेंशन का 100 प्रतिशत

- (बारह) पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि परिवार पेंशनर की जन्मतिथि तथा आयु सदैव पेंशन भुगतान आदेश पर दर्शाई जावे ताकि देय होने पर यथाशीच अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने में पेंशन संवितरण प्राधिकारी सक्षम हो सके। अतिरिक्त पेंशन राशि सुस्पष्ट रूप से पेंशन भुगतान आदेश में दर्शाई जावेगी।
- (2) पूर्व पेंशनरों के लिए पेंशन संरचना.— सेवा के वे सदस्य, जो 1 जनवरी, 2006 के पूर्व मृत्यु या सेवानिवृत्ति के कारण सेवा में नहीं रहे हैं, 1 जनवरी, 2006 से नीचे विनिर्दिष्ट किए गए मापदण्डों पर निम्नलिखित पेंशन/परिवार प्राप्त करेंग, अर्थात् :—
 - (एक) सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों की पुनरीक्षित पेंशन, इस तथ्य की विचार में लिए बिना कि उसने समय—समय पर यथा पुनरीक्षित अर्हकारी सेवा पूर्ण की है अथवा नहीं, उसके द्वारा सेवानिवृत्ति के समय ,न्यायिक अधिकारी द्वारा धारित पद के पुनरीक्षित वेतन के न्यूनतम 50 प्रतिशत से कम नहीं, होगी।
 - (दो) उन पारिवारिक पेंशनरों की पुनरीक्षित पेंशन, इस तथ्य को विचार में लिए बिना कि उसने समय-समय पर यथा पुनरीक्षित

अर्हकारी सेवा पूर्ण की है अथवा नहीं, सेवानिवृत्ति के समय सेवा के ऐसे सदस्य द्वारा धारित पद के पुनरीक्षित वेतन के न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी ;

- (3) पेंशनरों को मंहगाई राहत.— मंहगाई राहत उन दरों पर देय होगी, जो सेवा के सेवारत् अधिकारियों को मंहगाई भत्ते के रूप में अनुज्ञेय है।
- 11. नियमों का अध्यारोही प्रभाव.— उन मामलों में, जहां वेतन इन नियमों द्वारा विनियमित होता हैं, वहां मूल नियम (फण्डामेंटल रूल्स), मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन पुनरीक्षण, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 2003 तथा किन्हीं अन्य नियमों के उपबंध उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहा तक कि वे इन नियमों से असंगत हैं।
- 12. मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नियम, 2010 के कितपय नियमों का लागू होना.— अन्यथा उपबंधित के सिवाय जहां सेवा में वेतन, भत्तों तथा अन्य लाभों के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट नियम नहीं बनाए गए हैं वहां सेवा के सदस्यों की मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा तथा निम्न न्यायिक सेवा के तत्स्थानी ग्रेड के सदस्यों को लागू नियम सेवा के सदस्यों को यथावश्यक परिवर्तन सहित उस सीमा तक लागू होंगे जहां तक कि वें इन नियमों से असंगत न हों।
- 13. शिथिल करने की शक्ति.— राज्य सरकार,इन नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का प्रवर्तन ऐसी रीति में और ऐसी सीमा तक शिथिल कर सकेगी या निलंबित कर सकेगी, जैसा कि लोकहित में न्यायसंगत और साम्यापूर्ण या आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा शिथिलीकरण या निलंबन जो न्यायिक अधिकारी के लिए अलाभप्रद और माननीय उच्चतम न्यायालय के इस विषय में दिए गए निदेशों के प्रतिकूल हो, प्रवर्तित नहीं किया जाएगा।

- 14. **ज़िर्वचन.** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार के वित्त विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।
- 15. निरसन.— इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम या उनके भाग, आदेश और संकल्प, यदि कोई हों जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के सम्बन्ध में एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन किए गए आदेश या की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई है।

अनुसूची भाग एक

(नियम 3 देखिए)

सरल	पद का नाम	वेतनमान (रूपए) दिनांक 01	संशोधित वेतनमान
क्रमांक		जनवरी 1996 से लागू	रूपए 01 जनवरी
			2006 से लागू
1	2	3	4
1	श्रम न्यायाधीश	12850-300-13150-350-	39530-920-40450
		15950-400-17550	-1080-49090-1230
			-54010
2	श्रम न्यायाधीश	14200-350-15950-400	43690-1080-49090-
	संवर्ग में पांच वर्ष की सेवा	-18350	1230-56470
	1 ** * * * * * * * * * * * * * * * * *		
	पूर्ण करने पर अकार्यकारी ग्रेड		
3	श्रम न्यायाधीश – अकार्यकारी	16750-400-19150-450-20500	51550-1230-58930 -
	ग्रेड-1 में श्रम न्यायाधीश के		1380-63070
	संवर्ग में पांच वर्ष पूर्ण करने		
	क्रे पश्चात् द्वितीय ए.सी.पी.ग्रेड		
4	सदस्य न्यायाधीश	16750-400-19150-450-20500	51550-1230-58930-
	**************************************		1380-63070
		100 10150 150 01550	57700—1230—58930
5	सदस्य न्यायाधीश	18750-400-19150-450-21850	
	(सिलेक्शन ग्रेड)	-500-22850	-1380-63070
			70450
6	सदस्य न्यायाधीश	रू 22850-500-24850	70290-1540-76450
	सिलेक्शन ग्रेड में निरंतर तीन		
- 1	वर्ष की सेवा उपरान्त सुपर		
	टाईम स्केल		
	ाइन रपारा		

भाग दो (नियम 14 देखिए)

तालिका—1

<u></u>			संशोधित वेतनमान दिनांक		
अवस्था	वितनमान 01.0	1.1996 से लागू	- I		
			01.01.2006 से लागू		
	वेतनवृद्धि	मूल वेतन	वेतन वृद्धि	मूल वेतन	
1.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1		12850		39550	
2	300	13150	920.	40450	
3	350	13500	1080	41530	
4	350	13850	1080	42610	
5	350	14200	1080	43690	
6	350	14550	1080	44770	
7	350	14900	1080	45850	
8	350	15250	1080	46930	
9	350	15600	1080	48010	
10	350	15950	1080	49090	
11	400	16350	1230	50320	
12	400	16750	1230	51550	
13	400	17150	1230	52780	
14	400	17550	1230	54010	

श्रम न्यायाधीश – अकार्यकारी ग्रेड

(श्रम न्यायाधीशं संवर्ग में निरंतर पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर) रू.14200—350—15950—400—18350

अवस्था	वेतनमान01.	01.1996 से लागू	}	मान दि. 01.01.200
				ू (प्रभावशील)
	वेतनवृद्धि	मूल वेतन	वेतनवृद्धि	मूल वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	-	14200	-	43690
2	350	14550	1080	44770
3	350	14900	1080	45850
4	350	15250	. 1080	46930
5	350	15600	1080	48010
6	350	15950	1080	49090
7	400	16350	1230	50320
3	400	16750	1230	51550
)	400	17150	1230	52780
0	400	17950	1230	54010
1	400	17950	1230	55240
2	400	18350	1230	56470

श्रम न्यायाधीश – द्वितीय ए.सी.पी. ग्रेड

ক. 16750—400—19150—450—20500

			ं चंक्कीलिय होत्रम्	ਜ਼ ਰਿ 01 01 2006	
अवस्था	वेतनमान01.01	.1996 से लागू	संशोधित वेतनमान दि. 01.01.2006		
			से	से लागू	
		मूल वेतन	वेतनवृद्धि	मूल वेतन	
	वेतनवृद्धि	, let 40 '			
	• //	(2)	(4)	. (5)	
(1)	(2)	(3)	(4)		
		16750		51550	
1	- -				
	400	17150	* 1230	52780	
2	400	17150			
	100	17550	1230	54010	
3	400	17330			
		17050	1230	55240	
4	400	17950	1200		
			1230	56470	
5	400	18350	1230	100170	
			1000	57700	
6	400	18750	1230	37700	
			1000	58930	
7	400	19150	1230	50930	
,	· · · <u> </u>			00240	
8 59	450	19600	1380	60310	
9	450	20050	1380	61690	
10	450	20500	1380	63070	
10	, 5 5				

सदस्य न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)

रू. 16750-400-19150-450-20500

			1	
अवस्था	वतनमान 01.	01.1996 से लागू	संशोधित वेतनमान दि. 01.01.2006	
			₹	ने लागू
	वेतनवृद्धि	मूल वेतन	वेतनवृद्धि	मूल वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		16750		51550
2	400	17150	* 1230	52780
3	400	17550	1230	54010
4	400	17950	1230	55240
5	400	18350	1230	56470
6	400	18750	1230	57700
7	400	19150	1230	58930
8	450	19600	1380	60310
9	450	20050	1380	61690
10 ,	450	20500	1380	63070

सदस्य न्यायाधीश (सिलेक्शन ग्रेड)

জ. 18750-400-19150-450-21850-500-22850

अवस्था	वेतनमान01.01.1996 से लागू		संशोधित वेतनमान दि. 01.01.2006		
			सं	से लागू	
	वेतन वद्धि	मूलवेतन	वेतन वद्धि	मूल वेतन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	-	18750	_	57700	
2	400	19150	1230	58930	
3	450	19600	1380	60310	
4	450	20050	1380	61690	
5	450	20500	1380	63070	
6	450	20950	1380	64450	
7	450	21400	1380	65830	
8 7	450	21850	1380	67210	
9	500	22350	1540	68750	
10	500	22850	1540	70290	

सदस्य न्यायाधीश (सुपर टाईम स्केल)

रू. 22850-500-24850

अवस्था	वेतनमान01.01	1.1996 से लागू	संशोधित वेतनम	ान दि. 01.01.2006	
				से लागू	
	वेतनवृद्धि •	मूल वेतन	वेतनवृद्धि	मूल वेतन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	 -	22850	-	70290	
2.	500	23850	1540	71850	
3	500	23850	1540	73370	
4	500	24350	1540	74910	
5	500	24850	1540	76450	

भाग —तीन नियम 10 (1) (पांच) देखिए संराशीकरण तालिका

1 रूपया वार्षिक की पेंशन हेतु संराशीकरण मूल्य

	•	•	
आगामी जन्म तिथि	वर्षों की क्रय संख्या	आगामी जन्म तिथि	वर्षों की क्रय संख्या।
पर आयु	के अनुसार अभिव्यक्त	पर आयु	के अनुसार अभिव्यक्त
	संराशीकरण मूल्य		संराशीकरण मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)
20	9.188	51	8.808
21	9.187	52	8.768
22	9.186	53	8.724
23	9.185	54	8.678
24	9.184	55	8.627
25	9.183	56	8.572
26	9.182	57	8.512
27	9.180	58	8.446
28	9.178	59	8.371
29	9.176	60	8.287
30	9.173	61	8.194
. 31	9.169	62	8.093
32	9.164	63	7.982
33	9.159	. 64	7.862
34	9.152	65	7.731
35	9.145	66	7.591
36	9.136	67	7.413
37	9.126	68	7.262

38	9.116	69	7.083
39	9.103	70	6.897
40	9.090	71	6.703
41	9.075	72	6.502
42	9.059	73	6.296
43	9.040	74	6.085
44	9.019	75	5.872
45	8.996	76	5.657
46	8.971	77	5.443
47	8.943	78	5.229
48	8.913	79	5.018
49	8.881	80	4.812
50	8.846	81	4.611

No. F 24-4/2016/A-XVI, In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India. the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following rules relating to revision of pay, pension and other retirement benefits to the numbers of the Madhya Pradesh Labour Judicial service, namely:-

RULES

- Short title, commencement and application-1.
 - These Rules may be called the Madhya Pradesh Labour **(1)** Judicial Service (Revision of Pay, Pension and other Retirement Benefits) Rules, 2016.

They shall be deemed to have come into force First day (2)

of Jaunary, 1996.

- They shall apply to all the members of the Madhya (3) Pradesh Labour Judicial Service.
- Definition.-In these Rules, unless the context oterwise requires-2.
 - "Basic Pay" means pay as defined in rules 9(21) (a) (i) (a) or the Madhya Pradesh Fundamental Rules, 2016.
 - "Existing Post" means the post mentioned in column (b) (2) of the Schedule.
 - "Government" means the Government of Madhya (c) Pradesh.
 - "Pay Scale" means the pay scale applicable with effect (d) from First day of January, 1996.
 - "revised pay scale" in relation to the Pay scales specified in (e) column(3)against any post in column(2)of the Table givenin

Part —I of the Schedule, means as revised scales of pay corresponding to such pay scale as specified under column (4) of the Table in Part-1 of the Schedule.

- (f) "State" means State of Madhya Pradesh;
- (g) "Service" means the Madhya Pradesh Labour Judicial Service; and
- (h) "Schedule" means Schedule appended to these rules.
- 3. Revised scale of pay. From the date of commencement of these rules, every member of the Service shall be entitled to draw such pay in pay scale or pay in the revised scale, as the case may be, with effect from 1st January 1996, as specified in column (3) and with effect from 1st January 2006 as specified in column (4) respectively of the Table in Part I of the Schedule and applicable to the post to which he is appointed:
- 4. Fixation of initial pay in pay scale or revised scale of pay .- The initial pay of the member of the Service, in the pay scale with effect from 1st January, 1996 and revised scale of Day from last January 2006, shall, unless in any case the government by special order otherwise directs, be fixed separate in respect of his substantive pay on the permanent post on which he holds a lien or would have held lien, if it had not been suspended and shall be as shown in column (5) of the relevant table as specified in Table- 1 to Table-6 in Part II of the Schedule pertaining to the scale applicable to him with effect from 1st January 1996 and corresponding revised scale applicable to him with effect from 1st January 2006:

5. Increments.-

- (1) The next increment of the member of the service in the pay scale or the revised scale of pay, as the case may be, shall be granted on the date on which he would have drawn the increments, had he continued in the present scale.
- (2) The members of service who possesses Masters degree in Law (LL.M.) shall be entitled for three advance increments with effect from 1st December 2009 as are admissible to the members of Madhya Pradesh Lower Judicial Services and Madhya Pradesh Higher Judicial Service of the corresponding grade or pay scale or revised pay scale, as the case may be, vide order No. 3(A)19/2003/21-B (one), dated the 15th June 2010.

- 6. **Drawal of Pay.-** Save as otherwise provided in these rules, a member of the Service shall draw pay in the pay scale with effect from 1st January, 1996 or the revised scale of pay with effect from 1st January, 2006 as applicable to the post to which he is appointed,
- 7. Dearness allowance. The members of Service shall be allowed Dearness allowance from 1st July 1996 at the rate as applicable to the Central Government employees from time to time.
- 8. Other allowances and benefits.- The members of the Service shall be entitled to such other allowances and benefits with effect from 1st November 1999 as are admissible to the Madhya Pradesh Lower Judicial Services and Madhya Pradesh Higher Judicial Service of the corresponding grade or pay scale or revised pay scale, as the case may be, vide notification published in the Gazette of Madhya Pradesh No. 3(A)19-03//21-B (one), dated the 2nd March 2007 and revised from time to time.
- 9. Arrears of Pay.-The arrears of pay as a result of fixation of pay under these rules shall be payable from 1st January 1996 and 1st January 2006, as the case may be, in cash:

Provided that the Notional pay would be worked out from 1St January 1996 without giving the actual benefit flowing therefrom. The actual benefit shall accrue with effect from 1St July 1996.

Explanation .- For the purpose of this rule, 'arrears of pay' in relation to member of service means the difference between-

- (i) the aggregate of pay and dearness allowance to which he is entitled on account of pay in the scale of pay with effect from 1st January 1996 as mentioned in column (3) and pay in the revised scale with effect from 1st January2006 as mentioned in column (4) of the Schedule, as the case may be, and allowances under these rules, and
- (ii) the existing emoluments to which he would have been entitled had his pay and allowances not been so revised.

10. Retirement benefits

(1) The members of the Service, who have ceased to be in Service due to death or retirement on or after 1st July, 2006, shall get the

retirement benefits on the norms, as specified below with effect from 1st January, 2006, namely:—

- (i) The age of superannuation of the members of the Services shall be sixty years;
- (ii) Qualifying service for earning full pension shall be 20 years and in respect of those members of the Services who have not completed 20 years of qualifying service at the time of death or retirement, proportionate pension shall be calculated on the basis of actual qualifying service rendered by them;
- (iii) Last pay drawn shall be taken as emoluments for the purpose of pension, and full pension shall be 50% of such emoluments and in case of family pensioners, full pension shall be 30% of such emoluments;
- (iv) Maximum commutation of pension of the members of the Service shall be only upto 50% of their pension with restoration after 15 years;
- (v) The lump sum payable on commutation shall be calculated in accordance with the table of present values printed in Part-III of the Schedule. For the purpose of this rule the age in the case of impaired lives shall be assumed to be such age not being less than the actual age, as certifying medical authority may direct. In the event of the table of present values applicable to an applicant having been modified between the dates of administrative sanction to commutation and the date on which commutation is due, absolute payment shall be made in accordance with the modified pay bill but it shall be made in accordance with the modified table and it shall be open to the applicant, if the modified table is less favourable to him then that previously in force, to withdraw his application in writing dispatched within 14 days of the date on which notice of the modification:

Provided that in case of those members of the Service, in whose case communication of pension become absolute on or after 1st January, 2006 but before the date of coming into force of these rules, the pre-revised table of Commutation Value for pension will be used for payment of commutation of pension based on pre-revised pay/pension. Such pensioners shall have an option to commute the

amount of pension that has become additionally commutable on account of retrospective revision of pay/pension under these rules. On exercise of such an option, the revised table of Commutation shall be used for commutation of additional amount of pension that has become commutable on account of such revision of pay/pension. For the members of the Service retiring after the date of coming in force of these rules, revise table of Commutation shall be used.

- (vi) There shall be no ceiling for maximum pension;
- (vii) Death-cum-retirement gratuity, pension and family pension of the Higher Judicial Service shall be as per the Madhya Pradesh District and Session Judges (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1964;
- (viii) Family pension of the officer of the Lower Judicial Services shall be determined as per provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules, 1976;
- (ix) The quantum of pension available to the old pensioners shall be increased as follow:—

Age of Pensioner	Additional quantum of Pension	
(1)	(2)	
From 70 years to less than 75 years	10% of basic pension	
From 75 years to less than 80 years	20% of basic pension	
From 80 years to less than 85 years	30% of basic pension	
From 85 years to less than 90 years	40% of basic pension	
From 90 years to less than 100 years	50% of basic pension	
From 100 or more	100% of basic pension	

The Pension Sanctioning Authority should ensure that the date of birth and the age of a pensioner are invariably be indicated in the pension payment order to facilitate payment of additional pension by the Pension Disbursing Authority as soon as it becomes due. The amount of additional pension will be shown distinctly in the pension payment order;

- (x) The maximum limit of all kinds of gratuity shall be Rs. 10 lakh;
- (xi) the quantum of family pension available to the old family pensioners shall be increased as follows:—

Age of Family Pensioner	Additional quantum of Pension
(1)	(2)
From 70 years to less than 75 years	10% of basic family pension
From 75 years to less than 80 years	20% of basic family pension
From 80 years to less than 85 years	30% of basic family pension
From 85 years to less than 90 years	40% of basic family pension
From 90 years to less than 100 years	50% of basic family pension
From 100 or more	100% of basic family pension

- (xii) The Pension Sanctioning Authorities should ensure that the date of birth and the age of a family pensioner are invariably be indicated in the pension payment order to facilitate payment of additional pension by the Pension Disbursing Authority as soon as it becomes due. The amount of additional pension will be shown distinctly in the pension payment order.
- (2) Pension structure for the past pensioner.—The Members of the service, who have ceased to be in Service due to death or retirement prior to 1st January, 2006, shall get the following pension/family pension on the norms as specified below with effect from 1st January, 2006, namely:—
 - (i) The revised pension of the retired Members of the Service shall not be less than 50% of the minimum of the revised pay of the post held by such member at the time of retirement, irrespective of the fact whether he has completed qualifying service or not, as revised from time to time.
 - (ii) The revised pension of the family pensioners shall not be less than 30% of the minimum of the revised pay of the post held by the such Member of the Service at the time of retirement, irrespective of the fact whether he has completed qualifying service or not, as revised from time to time.
- (3) **Dearness relief to pensioners.** The dearness relief shall be at the rates, as dearness allowance is admissible to serving Members of the Service.

- 11. Overriding effect of rules.—In case where the pay is regulated by these rules, the provisions of Fundamental Rules, Madhya Pradesh Judicial Service (Pay Revision, Pension and Other Retirement Benefits) Rules, 2010 and any other rules shall not apply to the extent they are inconsistent with these rules.
- 12. Applicability of certain Rules of Madhya Pradesh Judicial Service Revision of Pay, Pension and other Retirement Benefits Rules, 2010.

Save as provided, where no specific rules are made in respect of pay, allowances and benefits, the rules applicable to members of the Madhya Pradesh Higher Judicial Service and Lower Judicial Services of the corresponding grade shall apply *mutatis mutandis* to the members of the Service to the extent they are not inconsistent with these Rules.

13. Power to relax.— The State Government may relax or suspend the operation of any of the provisions of these rules in such a manner and to such extent as may appear to be just and equitable of necessary or expedient in the public interest:

Provided that such relaxation or suspension shall not operate to the disadvantage to the Judicial Officer contrary to the directions of the Hon'ble Supreme Court of India in the matter.

- 14. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Finance Department of the Government, whose decision shall be final.
- 15. Repeal. All Rules or parts thereof corresponding to these Rules, orders and Resolution if any and inforce immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these Rules:
 - Provided that any order made or action taken under the Rules, so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

Schedule Part-I (See rule 3)

Serial	Name of the Post	Pay Scale (Rs.)	Revised Pay Scale
No.		w.e.f 1 st January,1996	(Rs.) w.e.f 1 st January,2006
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Labour Judge	12850-300-13150- 350—15950-400-17550	39530-920-40450- 1080-49090-1230-
•		•	54010
2.	Non functional Grade after completion of 5 years in the cadre of Labour Judge	14200-350-15950-400- 18350	43690-1080-49090- 1230-56470
3.	Labour Judge after completion of 5 years in the Non functional A.C.P Grade 1 in the cadre of Labour Judge	16750-400—19150- 450-20500	51550-1230-58930- 1380-63070
4.	Member Judge	16750-400-19150-450- 20500	51550-1230—58930- 1380-63070
5.	Member Judge , (In Selection Grade)	18750-400-19150-450- 21850-500-22850	57700-1230-58930- 1380-63070
6.	Member Judge- Super time scale after three years of continuous service as selection grade	Rs.22850-500-24850	70290-1540-76450

Part-II (See rule 14)

Table-1

				-A
Stage	Pay Scale w.e.f 1st		Revised Scale	w.e.f 1 st
(1)	January, 1996		January, 2006	
4				
	Increment	Basic	Increment	Basic
	(2)	(3)	(4)	(5)
1	-	12850	-	39550
2	300	13150	920	40450
	•			•
3	350	13500	1080	41530
4	350	13850	1080	42610
5	350	14200	1080	43690
6.	350	14550	1080	44770
			. ,	
7	350	14900	1080	45850
8	350	15250	1080	46930
9	350	15600	1080	48010
10	350	15950	1080	49090
11	400	16350	1230	50320
12	400	16750	1230	51550
13	400	17150	1230	52780
14	400	17550	1230	54010

Table-2

Labour Judge- Non-functional Grade

(On completion of five years continuous service in the cadre of Labour Judge Rs.14200 $-\,350-15950-400-18350$

Stage (1)	Pay Scale w.e.f 1st January,1996		Revised Scale w.e.f 1 st January,2006	
	Increment	Basic	Increment	Basic
	(2)	(3)	(4)	(5)
1	-	14200	-	43690
2	350	14550	1080	44770
3 .	350	14900	1080 .	45850
4				
4	350	15250	1080	46930
5	350	15600	1080	48010
6	350	15950	1080	49090
7 .	400	16350	1230	50320
8	400	16750	1230	51550
9	400	17150	1230	52780
10	400	17550	1230	54010
11	400	17950	1230	55240
12	400	18350	1230	56470

Table-3 Labour Judge- IInd A.C.P GradeRs.16750 - 400 - 19150 - 450 - 20500

Stage (1)	Pay Scale w.e.f 1 st January, 1996		Revised Scale w.e.f 1st January, 2006	
	Increment	Basic	Increment	Basic
	(2)	(3)	(4)	(5)
1	*	16750	-	51550
2	400	17150	1230	52780
3	400	17550	1230	54010
4	400	17950	1230	55240
5 -	400	18350	1230	56470
6	400	18750	1230	57700
7	400	19150	1230	58930
8	450	19600	1380	60310
9	450	20050	1380	61690
10	450	20500	1380	63070

Table-4

Member Judge (Entry level)

Rs.16750 - 400 - 19150 - 450 - 20500

Stage	Pay Scale <i>w.e.j</i> 199	• •	Revised Scale w. 200	-
(1)	Increment	Basic	Increment	Basic
	(2)	(3)	(4)	(5)
1	-	16750	-	51550
2	400	17150	1230	52780
3	400	17550	1230	54010
4	400	17950	1230	55240
5	400	18350	1230	56470
6	400	18750	1230	57700
7	400	19150	1230	58930
8	450	19600	1380	60310
9	450	20050	1380	61690
10	450	20500	1380	63070

Table-5
Member Judge (in Selection Grade)

Rs. 18750 - 400 - 19150 - 450 - 21850 - 500 - 22850

Stage (1)	Pay Scale w.e.f 1st January,1996		Revised Scale w.e.f 1st January,2006	
	Increment	Basic	Increment	Basic
	(2)	(3)	(4)	(5)
1	•	18750	-	57700
2	400	19150	1230	58930
3 -	450	19600	1380	60310
4	450	20050	1380	61690
5	450	20500	1380	63070
6	450	20950	1380	64450
7	450	21400	1380	65830
8	450	21850	1380	67210
9	500	22350	1540	68750
10	500	22850	1540	70290

Table-6
Member Judge (in Super time Scale)

Rs. 22850 - 500 - 24850

Stage	Pay Scale w.e.f. 1 st January,1996		Revised Scale w.e.f. 1 st Janua 2006		st January,
(1)	Increment	Basic	Increment		Basic
	, (2)	(3)	(4)		(5)
1	-	22850	-		70290
2	500	23350	1540		71850
3	500	23850	1540		73370
4	500	24350	1540		74910
5	500	24850	1540		76450

PART-III

(See rule 10(1)(v) COMMUTATION TABLE

Commutation value for a pension of Rs.1 per annum

Age next	Commutation	Age next	Commutation value
birthday	value expressed as	birthday	expressed as
,	number of year's		number of year's
	purchase		purchase
	Rs. P.		Rs. P.
(1)	(2)	(3)	(4)
20	9.188	51	8.808
21	9.187	52	8.768
22	9.186	53	8.724
23	9.185	54	8.678
24	9.184	55	8.627
25	9.183	56	8.572
26	9.182	57	8.512
27	9.180	58	8.446
28	9.178	59	8.371
29	9.176	60	8.287
30	9.173	61 5	8.194
31	9.169	62	8.093
32	9.164	63	7.982
33	9.159	64	7.862
34	9.152	65	7.731
35	9.145	66	7.591
36	9.136	67	7.413
37	9.126	68	7.262
38	9.116	. 69	7.083
39	. 9.103	70	6.897
40	9.090	71	6.703
41	9.075	72	6.502
42	9.059	73	6.296
43	9.040	74	6.085
44	9.019	75	5.872
45	8.996	76	5.657
46	8.971	77	5.443
47	8.943	78	5.229
48	8.913	79	5.018
49	8.881	80	4.812
50	8.846	81	4.611
	·		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **बी. आर. नायडू**, अपर मुख्य सचिव.

संस्कृति विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2017

क्रमांक - एफ 11-32/2016/तीस : राज्य शासन एतद् द्वारा सृजनात्मक कलाओं और साहित्य में उत्कृष्टता, श्रेष्ठ उपलब्धि तथा दीर्घ साधना को सम्मानित करने और इनमें राष्ट्रीय कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मानों की स्थापना की है। पूर्व नियमों को अधिक्रमित कर, विभाग निम्नलिखित नियम बनाता है :-

- 1. योजना :- यह नियम "राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मान नियम" कहलायेंगे और प्रसारित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।
- 2. उद्देश्य :- इस योजना का उद्देश्य कला, साहित्य, संस्कृति एवं सिनेमा और सामाजिक कार्य आदि विधाओं का सृजनात्मक संवर्द्धन एवं विकास किया जाना है। इन सम्मानों का मुख्य उद्देश्य गायन, वादन, नृत्य, हिन्दुस्तानी संगीत, शास्त्रीय संगीत, रंगकर्म, रूपंकर कलाएँ, कविता, साहित्य, उर्दू साहित्य, आदिवासी, लोक व पारम्परिक कलाएँ, हिन्दी व्यंग्य, सुगम संगीत, फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों एवं संस्थाओं को सम्मानित करना है।

3. पात्रता तथा मापदण्ड :-

- (एक) चयन के समय कलाकार/साहित्यकार/संस्था का सृजन सक्रिय होना अनिवार्य है।
- (दो) सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सम्मान कलाकार/साहित्यकार/संस्था के समग्र रचनात्मक अवदान के लिए देय होगा, उसकी किसी एक कृति या प्रस्तुति के लिए नहीं।
- (तीन) सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सम्मान सिर्फ सृजनात्मक उपलब्धि के लिए देय रहेगा। शोध, पाण्डित्य अथवा अकादेमिक कार्यों के लिए नहीं।

4. सामान्य नियम :-

- (एक) मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा देय सभी राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मान के लिए उच्च कोटि की सृजनात्मकता, असाधारण उपलब्धि और अनवरत दीर्घ साधना के असंदिग्ध और निरपवाद मानदण्ड रखे गए हैं।
- (दो) राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कलाकार/साहित्यकार/संस्था को दोबारा संस्कृति विभाग का कोई समकक्ष राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया जायेगा। तथापि राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान से सम्मानित/विभूषित युवा कलाकारों को वरिष्ठता के स्तर पर आने वाले समय में विधा सम्बद्ध राष्ट्रीय सम्मानों के लिए यह बंधन नहीं होगा।

- (तीन)राज्य सम्मान प्राप्त कलाकार/साहित्यकार/संस्था को दोबारा संस्कृति विभाग का कोई राज्य सम्मान नहीं दिया जायेगा, किन्तु उसे राष्ट्रीय सम्मान प्रस्तावित किया जा सकता है।
- (चार) सम्मान घोषित हो जाने के बाद यदि कलाकार/साहित्यकार/संस्था उसे लेना अस्वीकार कर देते हैं तो उस वर्ष वह सम्मान किसी को नहीं दिया जायेगा।
- (पांच) राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कोई भी सम्मान संयुक्त रूप से नहीं दिया जायेगा।
- 5. चयन समिति का गठन :-
- (एक) राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मानों के लिए अलग-अलग चयन समिति का गठन शासन दवारा किया जायेगा।
- (दो) चयन समिति हेतु मनोनीत सदस्य संबंधित कला एवं साहित्य के (सम्मानों के अनुरूप) राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय श्रेष्ठ कलाकार, साहित्यकार अथवा विशेषज्ञ होंगे।
- 6. चयन समिति का निर्णय :-
- (एक) चयन समिति का निर्णय सर्वसम्मित से होगा।
- (दो) चयन समिति की सर्वसम्मत अन्शंसा राज्य शासन के लिए बंधनकारी होगी।
- (तीन) राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।
- (चार) विषम परिस्थितियों में यदि चयन-समिति सर्वसम्मत निर्णय लेने में असमर्थ रहती है और एक से अधिक कलाकार/साहित्यकार/संस्था के नाम की अनुशंसा करती है, ऐसी स्थिति में शासन को उक्त चयन समिति का निर्णय अमान्य करने का अधिकार होगा और चयन प्रक्रिया पुनः आरम्भ की जा सकेगी।
- (पांच) यदि चयन समिति सम्मान के लिए किसी कलाकार/साहित्यकार/संस्था को उपयुक्त नहीं पाती है तो उस वर्ष वह सम्मान किसी को नहीं दिया जायेगा।
- (छ:) सम्मान चयन की कार्यवाही/अनुशंसा एवं उसके उपरांत अलंकरण अवधि के मध्य यदि चयनित कलाकार/साहित्यकार का देहांत हो जाता है, ऐसी स्थिति में यह सम्मान उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य को प्रदान किया जा सकेगा।

7. चयन समिति हेतु सदस्य संख्या :-

- (एक) राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान की चयन समिति में 4 सदस्य तथा शेष राष्ट्रीय सम्मानों की चयन समिति में 3 सदस्यों की उपस्थिति होने पर बैठक आयोजित की जा सकेगी।
- (दो) इसी प्रकार राज्य सम्मानों की चयन समिति में भी 3 सदस्यों की उपस्थिति होने पर बैठक आयोजित की जा सकेगी।
- 8. चयन समिति की अनुशंसा :-
- (एक) चयन समिति की अनुशंसा के पश्चात् अनुशंसित कलाकार/साहित्यकार/संस्था से सम्मान ग्रहण करने की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- (दो) शासन की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही सम्मान घोषित किया जायेगा।
- (तीन) घोषणा के पूर्व कार्यवाही पूर्णत: गोपनीय रहेगी।
- 9. सम्मान हेतु प्रस्ताव आमंत्रण एवं आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-
- (एक) विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मानों के अनुरूप लेखकों, कलाकारों, विशेषजों, रिसकों, संस्थाओं आदि से नामांकन आमंत्रित किए जायेंगे। यह भी अपेक्षा होगी कि नामांकनकर्ता, कलाकार/साहित्यकार/संस्था के प्रकाशनों का ब्यौरा, चित्र कैटलॉग आदि भी नामांकन के साथ संलग्न करेंगे। विभाग नामांकन के साथ संलग्न सहायक सामग्री लौटाने के लिए वचनबद्ध नहीं है।
- (दो) प्राप्त नामांकनों को चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा।
- (तीन) चयन समिति प्राप्त नामांकनों की समीक्षा करेंगी। चयन समिति को यह स्वतंत्रता होगी कि यदि कोई नाम छूट गया हो जो उक्त सम्मान के लिए योग्य है तो वे स्वविवेक से उस नाम को विचारार्थ शामिल कर सकेंगे।
- (चार) विभाग द्वारा नामांकन आमंत्रित किए जाने से वैधानिक घोषणा होने तक इस सम्बन्ध में मौखिक/दूरभाष/पत्राचार द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा सकेगी।
- 10. इन नियमों के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उपस्थित होने पर राज्य शासन उसके निराकरण हेतु उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.

महात्मा गांधी सम्मान चयन समिति में 7 सदस्यों को आमंत्रित किया जा सकेगा. जिसमें 4 सदस्यों की उपस्थिति तथा शेष राष्ट्रीय सम्मान एवं राज्य सम्मान में 5 सदस्यों को आमंत्रित किया जा सकेगा. जिसमें 3 सदस्यों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की जा सकेगी।